न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्या :–269/2013(2013/00078)/223/भिनाय

1. लादू पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी खटाणा खेड़ा तहसील भिनाय जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय।
2. काना पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी खटाणा खेड़ा तहसील भिनाय जिला अजमेर ।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय/डिक्री दिनांक 23.11.2012, वाद संख्या 18/2011 विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय

उपस्थितः–

1. श्री राकेश अरोड़ा अपीलांट की ओर से।
2. श्री धर्मवीर चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पो.संख्या 01 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांकः 28.9.2018

01. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.11.2012 के विरूद्ध प्राप्त हुई हैं।

02. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के न्यायालय में ग्राम मथानिया तहसील केकड़ी हाल भिनाय स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1270 रकबा 2.80, व 1271 रकबा 0.27 जिसके हाल नम्बर 1636 रकबा 3.07 बने है में से 2–15–00 बीघा भूमि वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 3 के पिता श्रीराम पुत्र देवा गुर्जर को दिनांक 29.11.1975 को कैम्प मुकाम बान्दनवाड़ा पर आवंटित की गई थी तभी से उनके पिता का तत्पश्चात उनके उत्तराधिकारियों का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। अतः कब्जा मुखलपाना के सिद्धान्त से वादी एवं प्रफोमा प्रतिवादी संख्या 3 इसमें खतेदारी हो जाने चाहिए लेकिन राजस्व कानूनो की गलती एवं सहवन से विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में उनके पिता के नाम तत्पश्चात वादी व प्रतिवादी संख्या 03 के नाम नहीं लगाई गई। वादी एवं प्रफोमा प्रतिवादी के पिता अनपढ़ थे इसलिए उन्हे आवंटित भूमि का अभिलेख नहीं देख पायें अतः वादी द्वारा नकले लेने पर जानकार हुई हैं। विवादित आराजी दीगर व्यक्ति को आवंटन करवाने की कोशिश में हैं। विवादित आराजी को चारागाह से निरस्त कर वादी एवं प्रफोमा प्रतिवादी संख्या 03 के नाम खातेदार घोषित किया जावें एवं प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें की वे वादी व प्रफोमा प्रतिवादी संख्या 03 को बेदखल नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भिनाय के द्वारा दिनांक 23.11.2012 को विवादित आराजी की किस्म वर्तमान में चारागाह होने से वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे असंतुष्ट एवं व्यथित होकर अपीलांट ने यहं अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की ।

03. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय

अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित रहें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 1270 व 1271 हाल खसरा नम्बर 1636 में से 2 बीघा 15 बिस्वा पर अपीलांट का कब्जा आवंटन की दिनांक 29.11.1975 से ही गत 40 सालों से शांतिपूर्वक निर्बाध रूप से चला आ रहा हैं जिसकी पुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट हैं। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को नहीं माने जाने का कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त साक्ष्यों के विपरीत आक्षेपित निर्णय से प्रस्तुत राजस्व वाद को निरस्त किये जाने से त्रुटि कारित की गई हैं। भू–प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा किये गये अवैधानिक इन्द्राजातो के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात को चारागाह के रूप में वर्णित होना मानते हुए विचारण न्यायालय द्वारा उक्त बाबत् बिना किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध हुए उक्त आराजीयात को चारागाह होना वर्णित कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री से प्रस्तुत राजस्व वाद को निरस्त किये जाने में त्रुटि कारित की गई है जबकि उक्त आराजीयात को चारागाह किए जाने बाबत् किसी प्रकार की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है ना किसी प्रकार की साक्ष्य प्रदर्श अंकित की गई है। चूँकि वादग्रस्त आराजीयात अवैधानिक चारागाह अंकन की गई है जिसका किसी प्रकार का अधिकार बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से रेस्पोडेन्ट को नहीं रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त बाबत् प्रस्तुत खातेदारी घोषणा हेतु राजस्व वाद का आक्षेपित निर्णय से निरसत किये जाने मे त्रुटि कारित की गई है। अतःअपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के निर्णय दिनांक 23.11.2012 निरस्त किये जावें एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद डिक्री किय जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस निवेदन किया कि वर्तमान में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1270 व 1271 से बने हाल नम्बर 1636 रकबा 3.07 चारागाह में दर्ज है यदि वादी को इसमें खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो धारा 16 राज.काश्तकारी अधिनियम का उल्लघंन होता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत हैं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज की जावें।

6.. अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिगण ने वाद पत्र में विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 1636 रकबा 3.07 बाबत् खातेदारी उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी एवं प्रफोमा प्रतिवादी संख्या 03 को शहादत हेतु केई अवसर दिये गये किन्तु उनके द्वारा मूल दस्तावेजात पेश नहीं किये गये एवं वर्तमान में विवादित आराजी चारागाह किस्म में अंकित होने के कारण धारा 16 राज.काश्तकारी अधिनियम का उल्लघंन मानते हुए वाद निरस्त किया हैं तथा तनकियात कायम कर निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि वर्तमान में चारागाह किस्म मे अंकित हैं इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय व डिक्री पारित की हैं जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य हैं।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

7.. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.11.2012 यथावत् रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

28/9/18

(बी. एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

8. आदेश आज दिनाक 28/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

28/9/18

(बी. एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Judil/Civil
Part IV- 4

डिगरी सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"- 9)

अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**

ब इजलाश :– **श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर.ए.एस.**

लादू पुत्र श्रीराम, जाति गुर्जर, निवासी खटाणा खेडा, तहसील मिनाय (जिला अजमेर)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मिनाय (जिला अजमेर)
2. कानापुत्र श्रीराम, जाति गुर्जर, नि० खटाणा खेडा, तहसील मिनाय (जिला अजमेर)

अपील संख्या:– 269/2013 (2013/00078) सन् 2013 ब नाराजगी डिगरी अदालत – उपखण्ड अधिकारी, मिनाय मुबर्खे 23 माह 11 सन् 2012 वाद संख्या 18/2011

दावा बाबत् : अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 R.T.Act.

यह अपील ब तारीख 28 माह 09 सन् 2018 रूबरू **राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर** ब हाजिरी श्री राकेश सरोडा, अधि० एड़वोकेट मिनजानिब अपीलांट, श्री धर्मवीर चौधरी G.A. रेस्पों०1, रेस्पो० 2 अनुपस्थित एड़वोकेट समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ है कि :– अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, मिनाय के निर्णय व डिक्री दिनांक 23/11/2012 यथावत् रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक –)रूपये – अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का – अदा करें।

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 28 माह 09 सन् 2018. को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर।

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	–		1.स्टाम्प वकालतनामा		–
2.स्टाम्प वकालतनामा	–		2. स्टाम्प अर्जी		–
3. इजराय हुक्नामा	–		3. इजराय हक्नामा		–
4. वकील फीस बाबत्	–		4.मेहनताना वकील		–
मीजान	–		मीजान		–

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहियें।